

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 21 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ एस.एस.बघेल

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बड़वानी

विषय :- डॉ. एस.एस.बघेल के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1397 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र.)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 22

भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर संभाग इंदौर / सिविल सर्जन इंदौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 23 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ. जे.एस.गोगिया

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. जे.एस.गोगिया के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1440 दिनांक 06.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापत्रों आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 24

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- विभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 31 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री अनिल शर्मा

सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी

जिला शाजापुर

विषय :- श्री अनिल शर्मा के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वाह्न 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंधी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र.)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 32

भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंधी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 19 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री एस.पी.जोशी

लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी

जिला शाजापुर

विषय :- श्री एस.पी.जोशी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 30
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 27 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

श्री कैलाश बाबू वर्मा

इंसर (निलंबित)

जिला शाजापुर

विषय :- श्री कैलाश बाबू वर्मा के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 28

भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 25 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ अनसुईया गवली

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला शाजापुर

विषय :- डॉ. अनसुईया गवली के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 26
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.8.18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 19 दिनांक :- 14/08/2018

प्रति,

डॉ हर्ष गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय टीकमगढ़

विषय :- डॉ. हर्ष गुप्ता के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1399 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल(म.प्र)

मो.नं.-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 20
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14-8-18

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ / सिविल सर्जन टीकमगढ़ उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 017 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. एस.के.चंदैया

तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक


स्वास्थ्य केन्द्र बनखेडी , जिला होशंगाबाद

विषय :- डॉ. एस.के.चंदैया के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1346 दिनांक 19.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं .भोपाल(म.प्र)


MOBNO 94253-74401

भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 118
प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद / सिविल सर्जन होशंगाबाद उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक होशंगाबाद की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-015 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. नीरज सिंह


मेडिकल आफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
कोलारस , जिला शिवपुरी

विषय :- डॉ. नीरज सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1336 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जाँच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र.)
94253-74401


पृष्ठांकन क्रमांक 116

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी / सिविल सर्जन शिवपुरी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब न हो ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-013 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. डी.पी.सिंह


तत्कालीन सिविल सर्जन , सह मुख्य अस्पताल
होशंगाबाद

विषय :- डॉ. डी.पी.सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1324 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।


राधावल्लभ शर्मा

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

Mo No 34253-74401


भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 1/14

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल / सिविल सर्जन भोपाल उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-06/ दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. प्रदीप सक्सेना


स्त्री रोग विशेषज्ञ , सिविल अस्पताल डबरा
जिला ग्वालियर

विषय :- डॉ. प्रदीप सक्सेना के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1326 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।



राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जाँच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल(म.प्र.)
MO. NO. 94253-74401
भोपाल दिनांक 7/8-2018

पृष्ठांकन क्रमांक / 12

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर / सिविल सर्जन ग्वालियर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।


राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-09

दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. लेखा तिवारी
तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय गुना

विषय :- डॉ. लेखा तिवारी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1339 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

Mob- No 774700 5301

पृष्ठांकन क्रमांक /10

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना / सिविल सर्जन गुना उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ~~सूचना~~ की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जाँच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-04 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.जगदीश प्रसाद


तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन , जिला सिवनी

विषय :- डॉ.जगदीश प्रसाद के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाँच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जाँच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1332 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।


दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जाँच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल(म.प्र.)

MOB-NO- 7747005301


पृष्ठांकन क्रमांक/08

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी / सिविल सर्जन सिवनी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जाँच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जाँच की सुनवाई में विलम्ब ना हो


दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जाँच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-05

दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.मंजू सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ

जिला चिकित्सालय रतलाम

विषय :- डॉ.मंजू सिंह के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1328 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल(म.प्र)

7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक

06

प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक

7/8/2018

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम / सिविल सर्जन रतलाम उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यभुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-02 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. उषा तिवारी

महिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
नौगांव , जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. उषा तिवारी के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1436 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय में पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल(म.प्र)

Mob No. 7747005309

भोपाल दिनांक 7/8/2018

पृष्ठांकन क्रमांक

104

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखों एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियों के लिए गए कथनों की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक छतरपुर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें तथा आगामी पेशियों को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई में विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-01 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.एस.आर.चौहान

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मन्दसौर

विषय :- श्री डॉ.एस.आर.चौहान के विरुद्ध म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1330 दिनांक 11.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वयं तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ,भोपाल(म.प्र)

Mb NO.

7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 102

भोपाल दिनांक

7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर / सिविल सर्जन मंदसौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:-संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ. दीपशिखा मण्डलोई

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018


नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 26/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर

उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।



(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन खण्डवा म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरूपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-39/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ नेहा राजौरीया
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बडवानी म.प्र.।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 28/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-39/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्रं :- एफ 19-92/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ रश्मि उपाध्याय
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।


विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस


उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 26/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल एवं प्रार. क. विभाग
12/07/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-92/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड / सिविल सर्जन भिण्ड म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल एवं प्रार. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक/2/07/2018

प्रति,

डॉ स्नेहा कामरा

चिकित्सा अधिकारी ए-75, बख्तावर राम नगर, इंदौर, म.प्र.।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल / दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन भोपाल म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को उक्त पते पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-06/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ स्मिता सिंह

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।


संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 26/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।


स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-06/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरुपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :-636/233/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ श्वेता वास्कले
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बड़वानी म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 28/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:-636/233/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन बड़वानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरुपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-38/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ नैतूबाला आर्य

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बड़वानी म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 26/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-38/2018/17/मेडी-1

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. विभाग
दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन बड़वानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ 19-40/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 9/07/2018

प्रति,

डॉ मोहम्मद फरीद खान
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सतना म.प्र.।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करें । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः छूतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 26/07/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थिति रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लोकस्वा. एवं परि. क. वि.

पृष्ठोक्त क्रमांक:- एफ 19-40/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लोकस्वा. एवं परि. क. वि.

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.व्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. :- एफ 19-45/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 9/07/2018

प्रति,

डॉ. सोमनाथ चौरसिया
चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र पगारखुर्द जिला सतना म.प्र.।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत।


संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे। अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी।

प्रकरण में पुनः उतर्द द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 28/07/2018 को समय प्रति 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।


स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थिति रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।


(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-45/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 9/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष घस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28/07/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।


(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. :- एफ 19-47/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 9/07/2018

प्रति,

डॉ मोहम्मद खालिद सिद्दीकी
चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र सरवानिया महाराज जिला नीमच म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः श्रुतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

पञ्चांकल क्रमांक - एफ 19-47/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 9/07/2018

REGD.AD.

प्र.क्र.F. १९-१५/2018/17/Med-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो कैम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. १९-१५/2018/17/Med-1

भोपाल, दिनांक १-४/६ 2018

प्रति,

डा. ~~अशोक कुमार शर्मा~~ चिकित्सक, ~~आई.ई.सी ब्यूरो~~,
~~पुनः प्रवेश केंद्र~~ ~~महाराजपुर~~ ~~जिला~~ ~~छतरपुर~~

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १६/०७/2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F. १९-१५/2018/17/Med-1

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (जे.पी. चिकित्सालय परिसर)
भोपाल, दिनांक १-४/६ 2018
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन छतरपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक १६/०७/१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरमा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (जे.पी. चिकित्सालय परिसर)
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र.F. १७-१७ /2018/17/Med-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. १७-१७ /2018/17/Med-1

भोपाल, दिनांक १४/६ २०१८

प्रति,

डा. शमशेर शरण गुप्ता उपस्थिति डा. शमशेर
जांच अधिकारी जांच अधिकारी जांच अधिकारी (मध्य)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपरोक्त द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १६/०७ /2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F. /2018/17/Med-1

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
भोपाल, दिनांक १४/६/२०१८
विभागीय जांच अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी । सिविल सर्जन की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक १६/०७/१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्ना. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र.F. 19-19 /2018/17/Med-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो कैम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-19 /2018/17/Med-1

भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,

डा.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-19 /2018/17/Med-1

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्चा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. F. 19-18 /2018/17/Med-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-18 /2018/17/Med-1

भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,

डा.....

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-18 /2018/17/Med-1

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी । सिविल सर्जन की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र.F. 19-16 /2018/17/Med-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो कैम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-16 /2018/17/Med-1

भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रति,

डा. नवनील कुमार सिंह
जिला चिकित्सालय, जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तु द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-16 /2018/17/Med-1

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी अधिकारी
भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन जिला हॉस्पिटल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ 19-34/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 30/05/2018

प्रति,

डॉ राजेन्द्र सिंह चौहान

चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी उप संचालक), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए सतपुडा भवन भोपाल ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 11/06/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं पारि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-34/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 30/05/2018

प्रतिलिपि संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापना संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए सतपुडा भवन भोपाल म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चरुपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक

11/06/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं पारि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १९-२३/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-२३/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक १८/०६/२०१८

डा. आर.सी. सक्सेना, जिला चिकित्सालय, रायसेन
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु बस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०६/०६/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १९-२३/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १८/०६/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०६/०६/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १८/०६/२०१८

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-15/2018/17/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-15/2018/17/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

डा० अनिल कुमार शर्मा, जिला चिकित्सक
जिला चिकित्सालय, मरहटपुर, जिला चतरपुर (म.प्र.)

विषय: विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/06/18...2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19/15/2018/17/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 18/5/2018

प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चतरपुर (म.प्र.) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
ल. प्र. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-89 / 2018/17/मेडी-१

लोक स्वास्थ्य पुर्व परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

श्रीपाल, दिनांक .. १४.१५.२०१८

प्रातः, उत्तर चन्द्रमानस पाठ्यार - द्वितीय अध्याय - वैष्णव (म. ५०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18.2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-89/2016/17/मेडी-१

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल विभाग
दिनांक १०/११/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक-30.10.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्चा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. संकेतना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. संकेतना)
विभागीय जांच अधिकारी
जो.स्वा एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-16/2018/10/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-16/2018/10/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

प्रति,

डा. नवनीत कुमार सिंह
जिला चिकित्सालय, चरपुर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपके प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 01.06.18 से पूर्व को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-16/2018/10/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चरपुर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 01.06.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 18/5/2018

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-87/2010/10/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-87/2010/10/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 18.15.2010

प्रति,

डा. जयसिंह डोण्डे, जिला ...
रजि. चिकित्सालय ... (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 20.07.18.....2010 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-87/2010/10/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 18.15.2010
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ... को और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 20.07.18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्चा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

(अपनी जानकारी)
विभागीय ज्ञान (अपनी)
को (अपनी) एवं (अपनी) के विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १७-१७/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७-१७/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक १४/५/२०१८

.....
.....
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०१.०६.१८...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-१७/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक १४/५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर भेज है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०१.०६.१८... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-44/2018/17/मेडी-1

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-44/2018/17/मेडी-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

श्री ० चन्द्र प्रसाद झाधरबाज सिंह डा. ३०
श्री ० चन्द्र प्रसाद झाधरबाज सिंह बुधवारपुर (म० प्र०)
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18....2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-44/2018/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना) (सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल दिनांक 18/5/2018
लो.स्व. क. विभाग

प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुधवारपुर (म० प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
लो.स्व. क. विभाग

REGD.AD.

फ 19-54
प्र.क्र. / 2016 / 17 / मेडी - 1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. फ 19-54/2016/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12.7.2016

प्रति,

उप/प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, जिला कार्यालय, झांझाबाद (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्धारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.9.2016 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक फ 19-54/2016/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल जिला कार्यालय
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग
दिनांक 12/7/2016

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय, झांझाबाद (म.प्र.) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.9.2016 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ११७-१० / २०१८ / १७ / मेडी - १

श्रीपाल, दिनांक १४/५/२०१८

प्रति,

प्रति,
 ३० नवंबर १९५० ई. ०
 जिलाधिकारी, जयपुर (मध्य)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २२.०५.१९८० को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक पुर्व समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 1548 / 2016 / 17 / मेडी-१

(आर.सी. सर्वसिद्धि सर्वसिद्धि)
विभागीय सचिव, आर्थिक विकास
भोपाल, दिनांक 18/5/2018
लोग. एच. 1/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला (.....) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अंतिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 3.5.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.नं. एवं पत्र. क. विभाग

REGD.AD.

આઈ.ઈ.સી બ્યૂરો ધવન, જે.પી. ચિકિત્સાલય પરિસર, શ્રોપાલ

प्रति,

प्रति,
 डॉ० रजिन्द्र सिंह चौहान अधि० आधि० (पु० उपसेवाकक)
 बी० आर० नाकय वि० अ० बी०, भोपाळ

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिपक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18....2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जंअ अधिकारी.
भोपाळ दिनांक 8/5/2018

प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चप्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सर्वसेना)

વિભાગીય જાંચ અધિકારી

(आ) वि. प्रकाश
वि. क. निषाग

प्र.क्र. ११५० / २०१८ / १७ / मेडी-१

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७७० / २०१८ / १७ / मेडी - १
प्रति,

श्रीपाल, दिनांक १८/५/...२०१८

प्रति,
 शुभ निवेदन प्रमाणित किया जाता है कि
 शिक्षा विभाग (साक्षरता) कार्यालय (महाराष्ट्र)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

उत्तरेद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ३०.०५.१९.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक पुर्व समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक् पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक - 19-50 / 2016 / 17 / मेडी - 1

(आर.सी.एस.सिना) ~~सहस्रना~~
विभागीय सचिव, अधिष्ठापिका
भोपाळ, दिनांक 2/5/2018
लो.सं. 145/2018/1/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला (.....) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 3.5.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना) :
विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो. रज. एवं पारि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-88/2018/17/मेडी-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-88/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

प्रति,

उपस्थित, चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, भोपाल (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18 से पूर्व 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 19-88/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 18/5/2018

प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय, भोपाल (म.प्र.) की और प्रेषित कर देखा है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९७० / २०१८ / १७ / मेडी - १
प्रति,

श्रीपाल, दिनांक १८/५/...२०१८

प्रति,
शुभ निमित्त, मासिक रिपोर्ट ० दि. ०
जिल्हा धाक (साजय) वसुळ (मजग)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 27.05.2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 15 जु 2010/10/मेडी-8

(आर.सी. सर्वसिद्ध)
विभागीय अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 18/5/2018
लो.सं. एच.ए. 1/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला (.....) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 3.5.15 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. संस्केत) W.
विभागीय जांच अधिकारी (जा.स.सी. सचिव)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स. एच. पी. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-३८/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

प्रति,

डॉ नीतूबाला आर्य


चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बड़वानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 31/04/2018 को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।


स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

(गिराईश कुमार निगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
दिनांक 11/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चरुपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 31/04/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

(गिराईश कुमार निगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्रं :- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक/१०/०५/२०१८

प्रति,

डॉ दिपशिखा मंडलोई

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
दिनांक १०/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरप्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. :- एफ १९-०६/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ जितेन्द्र सिंह सूर्यवंशी

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, शाजापुर म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं धौसादर, दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-०६/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं धौसादर, दिनांक ११/०५/२०१८

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्रं :-/१२६३/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ नीता बसेरीया

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं भ्रष्टाचार विभाग ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चरुपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ. / ७२२/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

प्रति,

डॉ प्रवीण सेमिल

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. ए. भोपाल/ दिनांक 11/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ. / ७२२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. ए. भोपाल/ दिनांक 11/04/2018

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. :..... 19-92
/3243/2018/10/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

प्रति,

डॉ रश्मि उपाध्याय

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 31/04/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग दिनांक 11/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:-..... 19-92
/3243/2018/10/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 31/04/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :-/६३६/२३३/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

प्रति,

डॉ श्वेता वास्कले

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बडवानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १४/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक...../६३६/२३३/२०१८/१७/मेडी-१

दिनांक 11/04/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक १४/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. & अ. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-४०/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ मोहम्मद फरीद खान

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सतना, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४०/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स/ एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
गिराई कुमारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,


डॉ राजकुमार पटेल

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र निगवानी, जिला अनूपपुर, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस


एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(मौखिक साक्ष्य विभाग)
लो.स्वा. भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ३१/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

(मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र :- एफ १९-४१/१७/मेडी-१/२०१८

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ संदीप भल्ला

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।


संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८६८/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २८/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २४/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।


स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थिति रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

२. (गिरिश कुमार मणिसिरी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४१/१७/मेडी-१/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष घस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक २४/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

३. (गिरिश कुमार मणिसिरी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-०५/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ मीनाक्षी जाटवा

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।


संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८८०/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २४/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थिति रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।



(जी.के.नेगी)

(गिरिश कुमार सिंघी)
विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-०५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक २४/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

(गिरिश कुमार सिंघी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. :- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ मानवीर सिंह गौर

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, उज्जैन, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८७८/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २४/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेमी)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक २४/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेमी)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

क्रं :- एफ 19-43/2018/10/मेडी-1

प्रति,

डॉ उपमा गुप्ता

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, देवास, म.प्र.


विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक 666/वि.जा.अ./जी.के.एन./2018 दिनांक 20/04/2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक 04/04/2018 को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।


प्रकरण में पुनः एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 28/04/2018 को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग, भोपाल, 11/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-43/2018/10/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28/04/2018 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्रं :- एफ १९-२६/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ संतोष कुमार तोमर

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र गोरङ्गा, जिला सतना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।


संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८७६/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणों से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २४/०५/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।


स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थिति रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

निमरीश कुमार अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-२६/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष घस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक २४/०५/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

निमरीश कुमार अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्रं :- एफ १९-४५/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,


डॉ सोमनाथ चौरसिया

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र पगारखुर्द, जिला सतना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस


एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १४/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल / दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक १४/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमारी नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/04/2018

क्र :- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१

प्रति,

डॉ मोहम्मद खालीद सिददीकी
चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र सरवानिया महाराज, जिला नीमच म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १४/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)
गिरीश कुमार नेगी
विभागीय जांच अधिकारी,
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल / दिनांक 11/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक १४/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)
गिरीश कुमार नेगी
विभागीय जांच अधिकारी,
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-३९/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,


डॉ नेहा राजौरिया

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बडवानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस


एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १४/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।


(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल / दिनांक ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-३९/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक १४/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।


(जी.के.नेगी)

(विशेष कृपाशाली)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-२५/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ लक्ष्मी कुमार

चिकित्सा अधिकारी, सा.स्वा.केन्द्र राधौगड, जिला गुना, म.प्र.

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परिवार क. विभाग ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-२५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परिवार क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-२७/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ अंशु दुबे

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।
स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरिश कुमार नेगी)

लो.स्वा. एवं प्र. क. विभाग ११/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक ०७/०६/२०१८ से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

गिरिश कुमार नेगी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-10/2016/17/मेडी-१

आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ११९-१० / २०१८ / १७ / मेडी - १

भोपाल, दिनांक . ११.८.२०१८

प्रति,

प्रति,
डा० काशी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य
आचार्य काशी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य

विषय : विश्वाधीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक. 21.05.18...2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक पुर्व समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक् पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अभिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-10 / 2010 / 10 / मेडी-१

(आर.सी.सकुसेना)
विभागीय जांच अधिकारी
ओपिल दिनांक ०७/११/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ... (म० १०) ... की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ... १०.०५.१८ ... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जंच अधिकारी
लो. रजा. एवं वरि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-76/2018/17/मेडी-1

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-76/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 07/05/2018

प्रति,

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22.05.18...2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-76/2018/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)

भोपाल, दिनांक 07/05/2018
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)

(आर.सी.)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-75/2020/16/मेडी-१

लोक स्वास्थ्य पुर्व परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

श्रीपाल, दिनांक ०१.०७.२०१८

प्रातः,
डा. माधव लाल शर्मा - शिक्षक डा. अरुण
शर्मा - शिक्षक प्रमुख - मेमोरान्डम (म०१०)

विषय : विश्वासीयता कांच में उपस्थित होने वाला ।

नोटिस

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक ११९७५/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
ओपाल, विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एच.पु.क. गैरगट

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. संवसेना)
विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. संवसेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.रवा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-4 / 2018/17/मेडी-1

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-4 / 2018/17/मेडी-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/5/2018

~~आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।~~

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 21/05/18 2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-4 / 2018/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 9/5/2018
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १७-२७/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७-२७/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक ... १५/०५/२०१८

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक... १५/०५/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-२७/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १५/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक... १५/०५/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा की तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १५/०५/२०१८

प्र.क्र. १९-३०/२०१८/१७/मेडी-१

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-३० / २०१८ / १७ / मेडी - १
प्रति,

भोपाल, दिनांक .. ०१.०७.२०१८

प्रति,

 विषय : विश्वाशीय तान्त्र में उपस्थित होने का अवसर ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक..21.12.2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक पुर्व समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक् पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-३०/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी.सर्वसेना)

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक ०७/०८/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ११.०५.१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सर्वसेना)

विभागीय जांच अधिकारी सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-18 / 2018 / 17 / मेडी-१

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७-१८ / २०१८ / १७ / मेडी - १
प्रति,

श्रीपाल, दिनांक ..११/५/२०१८

કાં. સિદ્ધિવેણી, દિલ્હી-૨૦

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक... 21.05.18... 2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक पुर्व समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-18 / 2018 / 17 / मेडी-१

(आर.सी.सर्वसेना)
विभागीय (जांच) अधिकारी
भोपाल, दिनांक १६/०६/२०१८
लो.स्वा. एक पत्र

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-19 / 2016/17/मेडी-१

लोक स्वास्थ्य पुर्व परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

भोपाल, दिनांक ..७/५/..२०१८

प्रातः
अहमदाबाद विमान यात्रा इलाहाबाद
विमान यात्रा जयपुर वाजगाँव (म०५०)

(आर.सी. सर्वसेवा)

विभागीय जांच अधिकारी (आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (आर. सी. सक्सेना)
लो. स्टा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्रक्र. १७-७७/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र.

/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ...१७/०७/२०१८

प्रति,

.....
.....
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २१/०७/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-७७/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना) संवसेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १७/०७/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक २१/०७/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी संवसेना
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-79/2018/17/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-79/2018/17/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक ११.०५.२०१८

डा. कृष्ण कुमार - जन्म २००५ चिकित्सक
जिला चिकित्सालय बालासोर (ओ.पी.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ११.०५.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-79/2018/17/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सेना)

भोपाला दिनांक ११.०५.२०१८
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ११.०५.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सेना)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १७-८२/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७-८२/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०७/०५/२०१८

डा. विवेक कुमार सिंह, चिकित्सक
जिला चिकित्सालय, बख्खर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २२/०५/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-८२/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
भोपाल, दिनांक ०७/०५/२०१८
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बख्खर (म.प्र.) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक २२/०५/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-80/2018/17/मेडी-1

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-80/2018/17/मेडी-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.5.2018

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22.05.2018 से 2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-80/2018/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सेना)
भोपाल, दिनांक 27/5/2018
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22.05.2018 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १७-४/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १७-४/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ...१७/०५/२०१८

प्रति,
.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २२/०५/१८...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १७-४/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक १७/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक २२/०५/१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्या की तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लोक. स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. १९-७८/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-७८/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०५.१२.२०१८

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २२.१२.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १९-७८/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
भोपाल, दिनांक ०५.१२.२०१८
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक २२.१२.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)
(आर.सी.)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

F 19-33
प्र.क्र. / 2018/19/मेडी-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-33 / 2018/19/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

प्रति,

~~डॉ. रमेश कुमार~~
~~चिकित्सा अधिकारी~~
~~जांच विभाग~~
~~भोपाल (मध्य)~~

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.5.18, 2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

0/

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

लो.स्वा. एवं

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-33/2018/19/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17.5.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

0/

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रक्र. १२५५ / २०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-८४ / २०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२०१८

प्रति,

डा. पंकज शर्मा
चिकित्सक, जे.पी. चिकित्सालय
परिसर, भोपाल

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १७/०५/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी)

%

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक १९-८४/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक १७/०५/१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरणा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी.के. नेगी)

%

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

क्र. 19-85/2018/17/मेडी-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-85/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

प्रति,

डा. रंजना 6/म
वि. डि. 22/3/18/मेडी-1
रंजना 22/3/18/मेडी-1
वि. डि. 22/3/18/मेडी-1

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.5.18/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी)

%

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 19-85/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ... की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17.5.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

%

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-८६
१९-८६/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२०१८

प्रति,

डा. ६२१०१० बाला पटेल,
चिकित्सक अधिकारी,
१५५० स्व. एवं परि. क. विभाग,
जिला अस्पताल (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्प्रेक्षित आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक... १७.५.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

०/८

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक ०४/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक १९-८६/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ... १७.५.२०१८ को और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक १७.५.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

०/८

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-22/2018/17/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-22/2018/17/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 16.05.18.2018

प्रति,

.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16.05.18.....2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

.....

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. सक्सेना)
भोपाल, दिनांक 16.05.18/2018
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19-22/2018/17/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16.05.18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-13 / 2018/17/मेडी-1

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-13 / 2018/17/मेडी-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

.....
.....
.....
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्धारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में आपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/05/18.....2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 19-13/2018/17/मेडी-1

(आर.सी. सक्सेना) (आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी जांच अधिकारी
रि. क. विभाग
भोपाल, दिनांक 04/05/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी. सक्सेना)
जांच अधिकारी
रि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. ७-१२/२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९-१२/२०१८/१७/मेडी-१
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०१८

.....
.....
विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक १६/०५/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक १९-१२/२०१८/१७/मेडी-१

(आर.सी. सक्सेना) (आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक १६/०५/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F-19-6 /२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०१८

प्रति,

डा. विमल कुमार सिंह
चिकित्सक
जी.पी. चिकित्सालय
शांजापुर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.5.2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी)
%
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 05/05/2018

पृष्ठांकन क्रमांक A19-6 /२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शांजापुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17.5.2018 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी.के. नेगी)
%
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 05/05/2018

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. २१ / II / विजांअ / जी.के.पुन / १८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ८६६ / विजांअ / जी.के.पुन / २०१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक २०.०५.२०१८

~~उपमा निहा चिकित्सालय भोपाल~~
~~जिला चिकित्सालय भोपाल~~

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

दि. १९-०५/१८

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०५.०५.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक ८६७ / विजांअ / जी.के.पुन / २०१८

~~२०/०५/१८~~
(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक २०/०५/१८
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०५.०५.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

~~२०/०५/१८~~
(जी. के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प. ७३/प्र/२२६/वि.जां.अ. १८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ८९६ /वि.जां.अ. /२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक ..१६/५.२०१८

प्रति,

उप (यमित) रिन, चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय,
बलनाम (म०५०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ..१२/०५/१८...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक ८९७ /वि जां अ. /२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक १६/५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलनाम (म०५०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..१२/०५/१८... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. संवसेना) १६/५
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. संवसेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

02/11/18/RCS.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. /वि.जां. अ /२०१८/RCS . भोपाल, दिनांक२०१८

प्रति,

.....
.....
.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०३/०५/१८.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक १०१ /वि जां अ. /२०१८/RCS . भोपाल, दिनांक २०/४ /२०१८

✓ प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला को और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

२०/०५/१८

01/II/18/RCS

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ४१४ /वि.जां.अ /२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक २०.१.१८.२०१८

प्रति,

आर.एस.एस. जांच अधिकारी, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल
विभागीय जांच अधिकारी, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल
प्रमुख, (म.प्र.पु.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उत्तद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०२.०५.१८.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)

पृष्ठांकन क्रमांक /वि.जां.अ./२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दासौर.....की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

जवाब दि. २५/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. १९५ /वि.जां.अ /२०१८/रस

भोपाल, दिनांक २०.११.२०१८

प्रति

.....
.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक २०.११.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/रस

भोपाल, दिनांक २०.११.२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिलाकी और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक २०.११.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

प.क्र.०५/वि.जां.अ./२०१८/१८५

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ४१२ / वि.जां. अ. / २०१८ / १८५

भोपाल, दिनांक .२०.०५.२०१८

प्रति,

डा. नवीन गुला चिकित्सा अधिकारी,
जिला स्वास्थ्य प्रमुख, भोपाल
मन्दार (मध्य प्रदेश)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक .०२.०५.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (सक्सेना)

पृष्ठांकन क्रमांक / वि जां अ. / २०१८ / १८५

भोपाल, दिनांक विभागीय जांच/अधीक्षी लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ... (मध्य प्रदेश) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .०२.०५.२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ११० / विजांझ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति.

श्रीपाल, दिनांक २०/५/२०१८

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19-4-18

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक. ०३.११.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जीके.पुन/२०१८

(जी के नैनीताल नगी)
 विभागाध्यक्ष, आचार्य अधिकारी
 विभागाध्यक्ष, आचार्य अधिकारी
 श्रीमान् दिनांक १०/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०३/०५/१८... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(~~जी. के. नेगी~~)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

प्र.क्र. 5/II/विजांअ/जी.के.पुन/१८

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 888 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति

भोपाल, दिनांक 20/4/2018

डा. विनय विनय चिन्मय झा
सिनेल इम्पलूज कन्सीज विनय देवास (म०७७)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जीके.पुन/२०१८

(जी.के. नेगी) 19/4/18
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास (म०७७) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

प्र.क्र. १२ /II/विजांअ/जी.के.पुन/१८

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ८८६ /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक २०/४....२०१८

उपस्थित चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय गोंडपूर

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

१९/०५/१८

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०३.०५.१८....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जी.के.पुन/२०१८

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी (नेगी)

भोपाल, दिनांक जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गोंडपूर (त.०.१.०) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०३.०५.१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्चा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 13 /II/विजांअ/जी.के.पुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 884 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक .१०/५...२०१८

डा. मनोज कुमार सिंह, आदि
जिला चिकित्सालय, देवास (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19/04/18

नोटिस

पुनः द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक .०३/०५/१८...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जीके.पुन/२०१८

(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक .१०/५...२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .०३/०५/१८... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्चा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

प्र.क्र. ॥ /II/विजांअ/जी.के.पुन/१८

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 882 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24.4...२०१८

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03.05.18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जी.के.पुन/२०१८

(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक 24.4.18
ली.स्वा. एवं प्रशिक्षण विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला...की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03.05.18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD.AD.

प्र.क्र. 19 /II/विजांअ/जी.के.पुन/१८

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 876 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/4....२०१८

जय प्रकाश कुमार तामर
जिला स्वास्थ्य अधिकारी
विभाग
विभागीय जांच अधिकारी (अ.पु.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04.05.18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक

/विजांअ/जीके.पुन/२०१८

24/4/18
(जी.के.नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
विभाग
भोपाल दिनांक परि. क. विभाग/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला .. (अ.पु.) .. की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कतव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04.05.18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

उ.प्र. ११/११/२०१८/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ८७५ / वि.जां. अ / २०१८ / RCS

भोपाल, दिनांक २१/११/२०१८

प्रति

जयपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर
मन्दीर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०७/११/२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना) सक्सेना

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक / वि जां अ. / २०१८ / RCS

भोपाल, दिनांक २०/११/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दीर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०७/११/२०१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

प.क्र. 10 / II / वि.जां.अ / RCS / 18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 872 / वि.जां.अ / 2018 / RCS

भोपाल, दिनांक 07/05/18...2018

प्रति,

उपस्थित आर.सी. सक्सेना (चौधरी) चिकित्सा अधिकारी,
जिला न्यायालय, भोपाल
जिला न्यायालय (महानगर)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18...2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक / वि.जां.अ. / 2018 / RCS

भोपाल, दिनांक

/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला न्यायालय (महानगर) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चर्या कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. ०८ / II / वि.जां.अ / २०१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ८७० / वि.जां.अ / २०१८

भोपाल, दिनांक .२६/५/२०१८

प्रति,

✓ उप. डी.ओ. जे. पी. चिकित्सालय, भोपाल
सिविल सुपरस्पेशलिजिस्ट
जिला मन्चमार (महंशु)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक .०७.०५.१८...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक / वि.जां.अ. / २०१८

(आर.सी.सक्सेना) सक्सेना
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक लो.स्वा. एवं/इडिस्ट. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्चमार (महंशु) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर पुनः प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .०७.०५.१८. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 20 / II / विजांअ / जी.के.पुन / १८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 868 / विजांअ / जी.के.पुन / २०१८
प्रति

भोपाल, दिनांक २०.५.२०१८

डा. सुमन शर्मा, चिकित्सक
जिला चिकित्सालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19/5/18

नोटिस

उपद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ०५.०५.१८.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक 869 / विजांअ / जी.के.पुन / २०१८

(जी.के. नेगी)
मिरीश कुमार नेगी
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक २०/५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०५.०५.१८. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चरपा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

अ.च. 12/पिजांअ/२८/१८.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. ४६५ /वि.जां.अ /२०१८/२८९

भोपाल, दिनांक ..२.४.१.१.२०१८

प्रति,

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला (सी) अधिकारी
जिला स्वास्थ्य विभाग (पुलवारा)
देवास (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कुपया नियत दिनांक ०७/०५/१८.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहें कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना/सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/२८९.

भोपाल, दिनांक ०२.४.१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास (म.प्र.) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ०७/०५/१८ से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

प.क्र. 07/0/जिजाअ/रस/18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 862 /वि.जां.अ /२०१८/रस.

भोपाल, दिनांक ..25/11...२०१८

प्रति,

डा० हरीश कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी
लोक स्वास्थ्य विभाग, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल
जिला नमच (म०३०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/रस

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नमच (म०३०) की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्था कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

उ.क.०९/II/दिनांक/RCS/18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी. ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 866 /वि.जां.अ /२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक 20.11.2018

प्रति,

.....
.....
.....
.....
.....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुनर्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07.12.18...2018 को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में पुनः पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी (आर.सी.सक्सेना)

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/RCS

भोपाल, दिनांक 20.11.2018
ल.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...की और प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07.12.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी